राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1635/2024

अरविंद सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. सामान्य पुलिस निदेशक, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
3. सामान्य पुलिस निरिक्षक, कोटा रेंज, कोटा।
4. पुलिस अधीक्षक, कोटा रेंज, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.04.2024
आदेश की दिनांक : 23.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेन्द्र सिंह डागुर, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2 अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में कांस्टेबल नं. 1759 के पद पर जिला मुख्यालय, पुलिस लाईन झालावाड़ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.12.2021(अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं बहाल कर दी है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के निलंबन के दौरान अपीलार्थी को कांस्टेबल के पद पर मुख्यालय रिजर्व पुलिस लाईन जिला झालावाड़ आवंटित किया गया था इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा आदेश दिनांक 05.10.2018 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कोटा सिटी से झालावाड़ कर दिया गया। अपीलार्थी ने अपने स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया है तथा अपीलार्थी के स्थान पर अभी तक किसी को नियुक्त नहीं किया है, वहां अभी तक अपीलार्थी का पद रिक्त पड़ा है। अपीलार्थी विभाग के सबसे नीचे स्तर में काम करने वाला एक कम वेतन भोगी कर्मचारी है। अपीलार्थी की वरिष्ठता जिलेवार रखी जाती है इसलिए अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिले से बाहर नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 02.02.2024 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसका आज दिनांक तक कोई निस्तारण नहीं किया गया है। अपीलार्थी का

स्थानान्तरण बिना विवेक का प्रयोग किए किया गया है, जो कि अनुचित एवं विधि विरूद्ध है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि आलौच्य आदेश दिनांक 05.10.2018 (अनुलग्नक–1) को निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी को कांस्टेबल के पद पर कोटा सिटी में कार्यरत रखा जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

अपीलार्थी का निलंबन काल में आदेश दिनांक 05.10.2018 के मुख्यालय संचित पुलिस लाईन झालावाड़ किया गया था। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14. 012.2021 द्वारा बहाल किया जा चुका है परंतु इस आदेश में अपीलार्थी के मुख्यालय या पदस्थापन के संबंध में कोई अकंन नहीं है।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट है कि

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा) **(शुचि शर्मा)**

सदस्य **सदस्य**